330

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
DEPARTMENT OF FORESTS

F.No- 1(56) Forest/2013 Jaipur, dated: 11 AUG 2014

ORDER

2541C

In reference to the clearance issued by MoEF, GoI vide letter No. 8 B/Raj/06/23/2013/FC/195 dated 12.06.2014 for the project proponent Addl. Director (Geology), Mines & Geology Department, Udaipur for Diversion of 2.3425 ha. of forest land for the purpose of Construction of Approach Road and Platform for Prospecting and Survey of mineral Iron Ore in ML N0. 48 and 49/2010 near village Todupura and Liloti Teh. Hindaun District Karauli. The State Government hereby accords Approval of Final stage clearance under Section 2 of the Forest (Conservation) Act with the following conditions:-

1 The conditions imposed by MoEF, GoI in their clearance dated 12.06.2014 will be complied by all concerned.

2 This order along with conditions imposed by the Central Government according to stage I and stage II clearance are mandatorily required to be displayed in the website by State Forest Department as well as by MoEF, GoI.

3 The project proponent should publish the entire forest clearance granted in verbatim along with the conditions and safeguards imposed by the Central Government in Forest Clearance in two widely circulated daily newspapers one in vernacular language and the other in English language so as to make people aware of the permission granted to the project proponent for use of forest land for non-forest purposes.

4 The copies of the Forest clearance should also be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.

5 Any other condition as and when imposed by the State Government.

1149
12.8.14

sd.

(C.S. Ratnasamy)
Secretary, Forest

Copy to the following for necessary compliance:-

1. Principal Chief Conservator of Forests (HoFF), Rajasthan, Jaipur.
2. Regional Office, Ministry of Environment & Forests, Govt. of India, Kendriya Bhavan, Lucknow.
3. Sr. Assistant Inspector General of Forests, In-charge, Monitoring Cell, Forest Conservation Division, MoEF, Govt. of India, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi - 110 510 - with a request to ensure uploading of the order passed by the State Government on the MoEF website.
4. Director, Regional Office (Headquarters), Ministry of Environment & Forests, New Delhi.
5. Addl. Principal Chief Conservator of Forests & Nodal Officer (FCA), Rajasthan, Jaipur - with a request to get the order and clearances uploaded on the State Forest Department website.
6. Chief Conservator of Forests, IT, Aravali Bhawan, JLN Marg, Jaipur - to ensure the uploading of the order and clearances on the State Forest Department website.
7. Concerned Regional Chief Conservator of Forests, Bharatpur.
8. Deputy Conservator of Forest, Karauli.
9. Additional Director, Mines & Geology Department, Udaipur.
10. Director, M/s Kalyani Natural Resources Pvt. Ltd., Regional office, Capital Goods Division, CS-8-10, 6th Floor, Tower – A, The Corenthem, A-41, Sector-62, Noida.(U.P.) 201301
11. Guard File.

C
3/2
12/8

Secretary, Forests

भारत सरकार
Government of India
पर्यावरण एवं वन मंत्रालय
Ministry of Environment & Forests
क्षेत्रीय कार्यालय(मध्य क्षेत्र)
Regional Office (Central Region)

सत्यमेव जयते

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ॥

केन्दीय भवन, पंचम तल, सेक्टर–एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector 'H' Aliganj, Lucknow-226024 Telefax: 2326696, 2324340, 2324047, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoefrolko@gmail.com

पत्र सं0 8 बी/राज0/06/23/2013/एफ.सी./195

दिनॉक: 12.06.2014

सेवा में,

प्रमुख सचिव {वन},
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय : प्रपोजल फोर प्रोस्पेक्टिंग एण्ड सर्वे ऑफ मिनरल ऑयरन ओर इन एमएल नं0– 48 एण्ड 49/2010 नियर विलेजेज टोदूपुरा और लिलोटी तहसील हिण्डौन जिला करौली हेतु एप्रोच रोड एवं प्लेटफार्म के निर्माण हेतु 2.3425 हे0 वनभूमि प्रत्यावर्तन बाबत।

सन्दर्भ : अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी राजस्थान की पत्र संख्या एफ 16 ( ) 2012/वसु/प्रमुवसं/4644, दिनॉक: 28.05.2014

महोदय,

उपरोक्त विषय पर शासन सचिव, राजस्थान शासन, राजस्थान का पत्रांक– प01(56)वन/2013, दिनांक– 18.09.2013 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.09.2013 एवं 04.10.2013 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति एवं संशोधन जारी किया गया था जिसकी अनुपालना अति0 मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी राजस्थान के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार प्रपोजल फोर प्रोस्पेक्टिंग एण्ड सर्वे ऑफ मिनरल ऑयरन ओर इन एमएल नं0– 48 एण्ड 49/2010 नियर विलेजेज टोदूपुरा और लिलोटी तहसील हिण्डौन जिला करौली हेतु एप्रोच रोड एवं प्लेटफार्म के निर्माण हेतु 2.3425 हे0 वनभूमि के प्रत्यावर्तन व बाधक 40 वृक्षों के पातन की विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है किन्तु शर्त संख्या– 2 एवं 14 की पूर्ण अनुपालन आख्या क्षेत्रीय कार्यालय में उपलब्ध कराने के उपरान्त ही राज्य सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन के आदेश जारी किये जाएंगे।

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही होगा।

2. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.3425 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा। क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध करायी गयी 2.3425 हे0 गैर वन भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है जिसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरित एवं नामान्तरित किया जाएगा। एवं इसे आरक्षित/संरक्षित वन भूमि के रूप में छः माह में अधिसूचित किया जाएगा एवं एक प्रति अभिलेख हेतु इस कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी।

3. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थान पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रखरखाव किया जायेगा।

4. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप प्रस्तावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात 4.6850 हे0 पर दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव किया जायेगा।

5. अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में बढ़ोत्तरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन.पी.वी. की बढ़ी हुई दर की अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी।

255

(4)

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जनपद कार्यबल की संस्तुतियों एवं भू–वैज्ञानिक के सुझावों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा।

7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एंव जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचायी जाएगी।

8. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों /स्टाफ को रसोई गैस/किरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।

10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।

11. प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने एवं भरने का कार्य नहीं किया जाएगा।

12. प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर मक डिस्पोजल कार्ययोजना के अनुसार वन विभाग की देख–रेख में किया जायेगा।

13. निर्माण कार्य के अन्तर्गत पातित होने वाले वृक्षों का पातन राज्य के निर्धारित विभाग/प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा एवं आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा

14. वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करें।

15. प्रस्ताव में निहित किसी भी निर्धारित शर्त का अनुपालन नहीं होने अथवा असंतोषजनक अनुपालन होने की स्थिति में केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृति को निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है।

उक्त विधिवत् स्वीकृति तब ही प्रभावी होगी जब शर्त संख्या–2 एवं 14 की अनुपालना इस कार्यालय में उपलब्ध करायी जाएगी।

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (के0)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अति वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान
3. उप वन संरक्षक, करौली, राजस्थान।
4. अतिरिकत निदेशक, (भू–विज्ञान), खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर, राजस्थान।
5. निदेशक, मेसर्स कल्याणी माइनिंग वेंचर्स प्रा0 लि0, नई दिल्ली।
6. निदेशक, मेसर्स कल्याणी नेचुरल रिसोर्सेज प्रा0 लि0, पूणे, महाराष्ट्र।
7. आदेश पत्रावली ।

12/6/14

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (के0)

शुद्धि पत्र

भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–0552–2326696

पत्र सं0 8बी/राज0/06/23/2013/एफ.सी. 1167

दिनॉकः 04.10.2013

सेवा में,

अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी,
अरण्य भवन, वानिकी पथ,
जयपुर, राजस्थान

विषय : प्रपोजल फोर प्रोस्पेक्टिंग एण्ड सर्वे ऑफ मिनरल ऑयरन ओर इन एमएल नं0– 48 एण्ड 49/2010 नियर विलेजेज टोदूपुरा और लिलोटी तहसील हिण्डौन जिला करौली हेतु एप्रोच रोड एवं प्लेटफार्म के निर्माण हेतु 2.3425 हे0 वनभूमि प्रत्यावर्तन बाबत।

सन्दर्भ– शासन सचिव, राजस्थान शासन, राजस्थान का पत्रांक– प01(56)वन/2013, दिनांक– 18.09.2013

महोदय,

उपरोक्त विषय पर का संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 30.09.2013 द्वारा सैद्वान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें इस कार्यायल द्वारा आंशिक टंकण त्रुटि हुई है जिसे शुद्ध करते हुए एक अतिरिक्त शर्त लगायी जाती है जो इस प्रकार है–

11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के उल्लंघन फलस्वरूप प्रस्तावित वन क्षेत्र के दुगुने अवनत वन भूमि अर्थात 4.6850 हे0 पर दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी।

शेष शर्तें यथावत् रहेंगी।

भवदीया,

04/10/13

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वन महानिदेशक (एफ.सी.), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोदी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. प्रमुख सचिव, राजस्थान शासन, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, करौली, राजस्थान।
4. अतिरिकत निदेशक, (भू–विज्ञान), खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर, राजस्थान।
5. निदेशक, मेसर्स कल्याणी नेचुरल रिसोर्सेज प्रा0 लि0, पूणे, महाराष्ट्र।
6. आदेश पत्रावली ।

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

भारत सरकार,
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय { मध्य क्षेत्र }

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–0552–2326696

पत्र सं0 8बी/राज0/06/23/2013/एफ.सी. /1126

दिनॉक: 30.09.2013

सेवा में,

प्रमुख सचिव {वन},
सिविल सचिवालय,
राजस्थान शासन जयपुर ।

विषय : प्रपोजल फोर प्रोस्पेक्टिंग एण्ड सर्वे ऑफ मिनरल ऑयरन ओर इन एमएल नं0– 48 एण्ड 49/2010 नियर विलेजेज टोदूपुरा और लिलोटी तहसील हिण्डौन जिला करौली हेतु एप्रोच रोड एवं प्लेटफार्म के निर्माण हेतु 2.3425 हे0 वनभूमि प्रत्यावर्तन बाबत।

सन्दर्भ– शासन सचिव, राजस्थान शासन, राजस्थान का पत्रांक– प01(56)वन/2013, दिनांक– 18.09.2013

महोदय,

उपरोक्त विषय पर का संदर्भित पत्र का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति मॉगी थी।

राज्य सरकार के प्रस्ताव पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि केन्द्र सरकार प्रपोजल फोर प्रोस्पेक्टिंग एण्ड सर्वे ऑफ मिनरल ऑयरन ओर इन एमएल नं0– 48 एण्ड 49/2010 नियर विलेजेज टोदूपुरा और लिलोटी तहसील हिण्डौन जिला करौली हेतु एप्रोच रोड एवं प्लेटफार्म के निर्माण हेतु 2.3425 हे0 वनभूमि प्रत्यावर्तन एवं 40 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रभावित वन क्षेत्र के समतुल्य गैर वनभूमि अर्थात 2.3425 हे0 पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर की है जिसे वन विभाग के पक्ष मे हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इस भूमि को छः माह में आरक्षित/संरक्षित वन भूमि घोषित/अधिसूचित किया जायेगा। भूमि का हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल के आस–पास रिक्त पड़े स्थान पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित)जमा करेगा।

3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।

4. उपरोक्त अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी0ए0–1581, कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा कराया जाये।

5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मक डिस्पोजल योजना प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराकर इस कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

6. प्रस्तावित वन क्षेत्र को प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर बाउन्ड्री पीलर द्वारा सीमांकन किया जायेगा जिसका अक्षांश एवं देशान्तर भी मानचित्र एवं पीलर पर दर्शाया जायेगा और वन क्षेत्र में लगे प्रत्येक पीलर के आगे एवं पीछे उनकी दिशा भी लिखनी होगी। इसकी जानकारी प्राप्त होने के पश्चात् ही विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3/2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य

(एन.पी.वी.) तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलैक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 मे जमा करने के उपरान्त ही पावती की छायाप्रति, जमा की गयी धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/चेक की छायाप्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की पूर्ण एवं बिन्दुवार अनुपालन आख्या (जिसमें जमा की गयी धनराशि का मद्वार विवरण अर्थात् एन0पी0वी0, क्षतिपूरक वृक्षारोपण, दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण, कैचमैन्ट ऐरिया ट्रीटमेन्ट प्लान (कैट प्लान), मार्ग/प्रस्तावित स्थल के आस–पास वृक्षारोपण तथा अन्य, जो भी लागू हो, हेतु जमा की गयी धनराशि का विवरण दिया गया हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त ही विधिवत् स्वीकृति पर विचार किया जाएगा।

8. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक– 11-9/98-FC, Dated- 08-07-2011 में दिये गये दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किये हुए भू–संदर्भित डिजीटल डाटा /मानचित्र प्रस्तुत करें जिसमें वन सीमाओं को विशेष डाटा (.shp) फाइल में दर्शाया गया हो।

9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का ही पातन किया जायेगा एवं प्रस्तावित वृक्षों के पातन के अतिरिक्त अन्य किसी भी वृक्ष का पातन नही किया जाएगा।

10. प्रयोक्ता अभिकरण वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत संबंधित जिले के जिलाधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि वनाधिकार अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तावित वनभूमि में कोई भी दावा लम्बित नही है एवं आदिम जनजाति/प्रारम्भिक कृषक समुदाय के हित प्रभावित नही होते हैं।

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। याचक विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक कार्यान्वित नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीया,

(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन संरक्षण) एवं नोडल अधिकारी, अरण्य भवन, वानिकी पथ, जयपुर, राजस्थान
2. उप वन संरक्षक, करौली, राजस्थान।
3. अतिरिकत निदेशक, (भू–विज्ञान), खान एवं भू–विज्ञान विभाग, उदयपुर, राजस्थान।
4. निदेशक, मेसर्स कल्याणी नेचुरल रिसोर्सेज प्रा0 लि0, पूणे, महाराष्ट्र।
5. आदेश पत्रावली ।

30/9/13
(प्राची गंगवार)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)